भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1619
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

**न्याय का परिदान**

†**1619. श्री नायब सिंह सैनी :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने न्यू-इंडिया 75 के लिए कार्यनीति के अंतर्गत आने वाली चुनौतियों से निपटने तथा नागरिकों को न्याय देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार ने न्यायपालिका के समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण तथा नीति आयोग की हाल की रिपोर्टों में बताया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या मंत्रालय ऐसे विधि स्नातकों की प्रतिभा का उपयोग करने की योजना बना रही है जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है और मंत्रालय तथा न्यायपालिका में व्यावहारिक अनुभव हासिल कर लिया है ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और
(ङ) सरकार द्वारा समाज में सभी को न्याय देने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) और (ख) :** नीति आयोग ने एक दस्तावेज "स्ट्रेटजी फोर न्यू इंडिया@75" को सूत्रबद्ध किया है जो https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_2.pdf" पर पब्लिक डोमेन में है । सरकार ने अवसंरचना सुविधाएं अर्थात् न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों में सुधार करने की पहल की है । 8,758.71 करोड़ की रकम 1993-94 में स्कीम के प्रारंभ से राज्यों को जारी की है । 2014 से 31.01.2022 की अवधि के दौरान न्यायालय हालों की संख्या 15,818 से बढकर 21,376 हो गई है और आवासीय ईकाइओं की संख्या 10,211 से बढकर 18,276 हो गई है । सरकार ने 9000 करोड़ जिसमें 5307 करोड़ का केन्द्रीय शेयर शामिल है, के बजट संबंधी व्यय के साथ 31.03.2026 तक इस सीएसएस को जारी रखने का अनुमोदन भी किया है । योजना के संघटकों का विस्तार किया गया है जो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइओं के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और अधिवक्ता हाल का संन्निर्माण भी इसके अंतर्गत हैं । 2016 से

31.01.2022 तक 36 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए गए हैं और 616 न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए थे, जबकि 502 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे और 42 अतिरिक्त न्यायाधीशों को नए पद दिए गए थे । एक पृथक् उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच सिलीगुडी में स्थापित की गई थी । सरकार ने भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के अधीन बलात्संग के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए स्कीम का अनुमोदन किया है ।

ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया हैं । अन्य मुख्य पहल ई-न्यायालय मिशन परियोजना के अधीन की गई है जिसमें निम्न शामिल है :

i. वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना (डब्ल्यूएएन) के अधीन, (07.02.2022 को यथाविद्यमान) 2960 न्यायालय स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के साथ सुसज्जित किया गया है । यह सम्पूर्ण देश में डाटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधार बनाता है ।

ii. मामला सूचना साफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई-न्यायालय सेवाओं का आधार बनाता है, प्रचलित फ्री और ओपन सोर्स साफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है । कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक नया साफ्टवेयर पैच और उपयोक्ता निर्देशिका भी मामलों को अच्छी तरह सूचीबद्ध करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जा रहा है ।

iii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-न्यायालय परियोजना के अधीन आन-लाइन प्लेटफार्म के रूप में सृजित आदेशों, निर्णयों और मामलों का डाटाबेस है । यह देश में सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 19.81 करोड़ मामलों और 16.61 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मुकदमा करने वाले व्यक्ति मामले की प्रास्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं (01.02.2022 को यथाविद्यमान) । 2020 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों और सांस्थानिक मुकदमा करने वालों, जिनके अन्तर्गत स्थानीय निकाय भी हैं, को लम्बन मॉनीटरी और अनुपालन सुधारने के लिए एनजेडीजी डाटा तक पहुंचने हेतु अनुज्ञात करने के लिए ओपन एपीआई का आरम्भ किया गया है ।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, एसएमएस पुश एण्ड पुल (2,00,000 एसएमएस प्रतिदिन भेजे गए), ई-मेल (2,50,000 प्रतिदिन भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (35 लाख हिट्स प्रतिदिन), जेएससी (न्यायिक सेवा केन्द्र) और सूचना कायोस्क के माध्यम से अधिवक्ताओं/मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों आदि पर समयोचित सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्म सृजित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए मोबाइल एप में

इलैक्ट्रानिक केस मैनेजमेंट टूल (ईसीएमटी) सृजित किया गया है (3 जनवरी, 2022 तक कुल 72.20 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप सृजित की गई है (2 फरवरी, 2022 तक कुल 16,961 डाउनलोड) । अब जस्ट आईएस मोबाइल एप आईओएस में भी उपलब्ध हैं ।

v. यातायात चालान मामलों के लिए 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 17 आभासी न्यायालय प्रचालित किए गए हैं । 17 आभासी न्यायालयों द्वारा 1.24 करोड़ से अधिक मामले निपटाए गए हैं और 21 लाख से अधिक (21,45,341) मामलों में 221 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना 02.02.2022 तक वसूला गया है ।

vi. भारत का उच्चतम न्यायालय (लॉकडाउन अवधि के आरम्भ से 08.01.2022 तक) 1,81,909 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों (57,39,966 मामले) और अधीनस्थ न्यायालयों (1,08,36,087 मामले) ने 30.11.2021 तक 1.65 करोड़ आभासी सुनवाईयां की हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों में वीसी सुविधा समर्थ की गई है। 14,443 न्यायालय कक्षों हेतु 2506 वीसी कैबिनों और वीसी उपकरणों के लिए निधियां जारी की गई हैं । आभासी सुनवाईयों के संवर्धन के लिए 1500 वीसी लाइसेंस उपाप्त किए गए हैं । 1732 डाक्यूमेंट विजुअलाईजर उपाप्त करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

vii. अद्यतन विशेषताओं जैसे नया डैसबोर्ड, जिसके अन्तर्गत कई भागीदारों, मामला फाइल करने, वकालतनामा, अभिवचन, ई-संदाय, आवेदन और मामला पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकल्प भी हैं, के साथ विधिक दस्तावेजों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए नया ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है । प्रारुप ई-फाइलिंग नियम विरचित किए गए हैं और अंगीकृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रचालित किए गए हैं । 31.12.2021 तक कुल 17 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियम अंगीकृत किए हैं ।

viii. मामलों की ई-फाइलिंग हेतु फीस के इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विकल्प अपेक्षित होता है, जिसके अन्तर्गत न्यायालय फीस, जुर्माने और शास्तियां भी हैं जो सीधे संचित निधि में संदेय होती हैं । न्यायालय फीस, जुर्माने, शास्तियों और न्यायिक निक्षेपों का ऑन-लाईन संदाय https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से आरम्भ किया गया है । कुल 16 उच्च न्यायालयों ने उनकी संबंधित अधिकारिताओं के भीतर ई-संदाय का कार्यान्वयन किया है । 31.12.2021 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

ix. डिजिटल खाई को पाटने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं और मुकदमा करने वाले व्यक्तियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं । सरकार ने ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं । 31.12.2021 तक 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 451 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं ।

x. प्रौद्योगिकी रूप से समर्थ तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ की गई है । इसे वर्तमान में, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है ।

xi. एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसमें खंडपीठ, मामले के प्रकार, मामले की संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय, तारीख से तारीख तक और पूरे पाठ्य से सर्च करने की विशेषताएं हैं । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं ।

xii. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से सृजित डाटाबेस का प्रभावी उपयोग करने तथा जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से ज्ञात 30 एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइनबोर्ड सिस्टम 20 उच्च न्यायालयों में लगाए गए हैं ।

xiii. ई-फाइलिंग और ई-न्यायालय सेवाओं के प्रति वृहद रूप से जागरूकता के सृजन और उनसे परिचित कराने के लिए तथा "स्किल डिवाइड" की समस्या का समाधान करने के लिए ई-फाइलिंग पर निर्देशिका तथा "ई-फाइलिंग पर कैसे रजिस्टर करें" पर ब्रोशर अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है । ई-न्यायालय सेवाओं के नाम से ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक यू-ट्यूब चैनल सृजित किया गया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए हैं । इन कार्यक्रमों ने 3,60,993 पणधारियों को कवर किया है जिनके अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारिवृंद, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षणकर्ता, उच्च न्यायालयों का तकनीकी कर्मचारिवृंद और अधिवक्ता हैं ।

**(ग) और (घ) :** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने विधि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम संचालित किया है । प्रशिक्षुता कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विधि प्रशिक्षु प्रादेशिक फोकस के साथ विधिक संस्थानों और विधिक सेवा कार्यक्रमों का कार्य करने के विस्तृत विचार प्राप्त कर सके । यह कार्यक्रम तीन सप्ताह का कार्यक्रम है । प्रशिक्षु के लिए अपनी पंसद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में लगभग दो सप्ताह का प्रशिक्षण अपेक्षित है । डीएलएसए में दो सप्ताह की अवधि के पश्चात् प्रशिक्षु अपने कार्य का अवलोकन करने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में सहयुक्त हो सकेंगे। अपने प्रशिक्षुता कार्यक्रमों की अवधि के दौरान विधि विद्यार्थी केन्द्रीय कारागार या उप कारागार का भ्रमण करेंगे और कैदियों के साथ बातचीत करेंगे; पर्यवेक्षण गृह/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/मनःप्रभावी पुनर्वास केन्द्र/जिला न्यायालय जिसके अंतर्गत मैजिस्ट्रेट न्यायालय सत्र और सिविल न्यायालय तथा पुलिस स्टेशन हैं ; विधिक साक्षरता/विधिक जागरुकता कार्यक्रम में भाग लेंगे; मध्यक/विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र और लोक अदालत आदि में मध्यकता कार्यवाहियों में भाग लेंगे । प्रशिक्षुता के सफलतापूर्वक पूरा करने पर विधि प्रशिक्षुओं को एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएंगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधिक सहायता क्लिनिक प्रचालन में है जिनमें विद्यार्थिओं को जिले के जिला विधिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है । ऐसे क्लिनिकों जिसमें विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, के माध्यम से विधिक सहायता और जागरुकता का गांवों में संवर्धन किया जाता है ।

**(ङ) :** "सभी के लिए न्याय" प्रदान करने के उद्देश्य के साथ सरकार ने "डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंड़िया" (डीआईएसएचए) जिसने हाशिये पर के लिए विशिष्ट रूप से विधिक सहायता की गुणवत्ता में वृद्धि की है । डिआईएसएचए के अधीन टैली विधि ने संपूर्ण भारत में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर उपलब्ध टैली/वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाओं के माध्यम से और नागरिकों की टैली विधि मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सीधे पैरा मुकदमेबाजी विधिक सलाह के लिए पैनल अधिवक्ताओं को नागरिकों से जोडा है । सोसाइटी के कमजोर वर्गों के लिए टैली विधि आउटरीच के लाभों के अधिकतम करने, विशिष्ट विधि विद्यार्थियों और साधारण विद्यार्थी नागरिकों की टैली विधि एप्लिकेशन पर स्वयंसेवक और पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्साहित हो रहे हैं । 31.01.2022 तक 13.50 लाख लाभार्थियों से अधिक ने टैली विधि के अधीन सलाह प्राप्त की है । सरकार ने प्रो बोनो अधिवक्ताओं के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता उपयोग करने के लिए पात्र व्यक्तियों को जोडने हेतु न्याय बंधु की विधिक सशक्त पहल भी की है । 3853 प्रो बोनो अधिवक्ता और 1436 लाभार्थी रजिस्ट्रीकृत किए गए है । विधि विद्यार्थियों के बीच प्रो बोनो की संस्कृति को और अधिक मन में बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब आरंभ किया गया है जिसमें 29 विधि स्कूलों ने न्याय बंधू कार्यक्रम के अधीन आए है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) एक कानूनी निकाय है जिसने देश में सामान्य नागरिकों को विधिक सेवा प्रदान करने को सशक्त करने और सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए है जिसमें विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आनलाइन माध्यम से आवेदन फाइल करने के लिए वेब पोर्टल का सृजन करना ; विधिक सहायता/सलाह और उनके आवेदन ट्रैक करने के लिए नागरिकों की सुविधा के लिए एड्रॉएड और आईओएस वर्जन हेतु विधिक सेवा मोबाइल ऐप जारी करना ; संदिग्ध और गिरफ्तार व्यक्तियों को रिमांड स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करना और दोष-सिद्ध के लिए अपील फाइल करने हेतु विधिक सहायता का उपबंध करना आदि शामिल है ।

विधि सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 समाज के कमजोर वर्गों जिसमें अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले फायदाग्राही भी है, को यह सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क और सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराता है कि किसी नागरिक को न्याय प्रदान करने के अवसरों से आर्थिक या अन्य नि:शक्तता के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत संचालित करना कि यह समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढावा देने के विधिक तंत्र को परिचालित करती है ।

कोविड-19 महामारी की चुनौती के सामने एनएएलएसए वर्चुअल प्लेटफार्स से लोक अदालत का आयोजन किया जो ई-लोक अदालत के रूप में ज्ञात है । पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजन की गई थी और तब से ई-लोक अदालत 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित की जा रही हैं जिसमें 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान 66.93 लाख मामलों पर चर्चा की गई थी और 23.47 लाख मामले निपटाए गए थे, 1.41 करोड़ से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए थे इसके अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान 11.72 लाख पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले राज्य लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए थे और 1.23 लाख पूर्व मुकदमेबाजी मामले स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए थे ।

*******